

संदर्भ संख्या : .....२५९...../NGT-123/OA-68/2021/2024

दिनांक 14.05.24

To,

The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi  
E-mail- [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) & [ngt.filling@gmail.com](mailto:ngt.filling@gmail.com)

**Sub: Reply/Response on behalf of District Magistrate, Ghaziabad in compliance to direction issued by Hon'ble NGT in EA no. 33/2021 in OA no. 68/2021 in the matter of Sushil Raghav vs Union of India & ors.**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 12-03-2024 in EA no. 33/2021 in OA no. 68/2021 in the matter of Sushil Raghav vs Union of India & ors. Letter has been issued to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Ghaziabad and Executive Engineer (U.P. Jal Nigam-Urban), Rajnagar, Ghaziabad for directing to take necessary action in said matter, copy of same is being annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

**Enclosure: As above.**

Yours Sincerely

  
(Indra Vikram Singh)  
District Magistrate

संदर्भ संख्या : 258/एनजीटी-123/ओए-68/2021/2024

दिनांक 14.05.24

मा0एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध

1. नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियंता (निर्माण खण्ड-प्रथम),  
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आर-1, राजनगर  
गाजियाबाद।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ई0ए0 संख्या 33/2021 इन ओ0ए0 संख्या 68/2021 सुशील राघव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के पत्रांक एनजीटी-187/81-7-2024 दिनांक 10.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी थी, परन्तु मा0 एन0जी0टी0 में रिस्पॉन्स दाखिल नहीं किया गया।

अग्रेतर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ई0ए0 संख्या 33/2021 इन ओ0ए0 संख्या 68/2021 सुशील राघव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

"1. By this Execution Application, applicant is seeking the compliance of the order dated 19.03.2021 passed in OA No. 68/2021. The Tribunal on 12.01.2024 had issued notice to the respondent in this EA. Applicant has filed affidavit of service and submitted that all the respondents are served.

2. A request on behalf of Counsels appearing for Respondent Nos. 2,3,4 and 7 has been made for grant of four week's time to file the response/compliance report. It will be open to other respondents also to file their response/compliance report within the same period by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित वार्ड नं-43 कड़कड़ मॉडल साहिबाबाद, गाजियाबाद में सीवेज पाईप लाईन नेटवर्क तैयार किये जाने के सम्बन्ध में दाखिल की गयी एकजीक्यूशन एप्लीकेशन पर कार्यवाही नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार शासन के निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत Response/Compliance report उ0प्र0 शासन एवं मा0 अधिकरण को प्रेषित करने का कष्ट करे।

उक्त वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 16.05.2024 नियत है।

  
(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद।